

Case No. 16/2021

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष **SPEED POST**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

समन

छठा तल, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली- 110003

फाइल सं. - NCST-16013(MP)/11/2021-RU-III
सेवा में,

श्री कर्मवीर शर्मा,
कलेक्टर, जिला,
जबलपुर (म.प्र.)

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 11.08.2021 को 04.00 PM बजे आपकी वैयक्तिक उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामले का संदर्भ

1. जबलपुर जिले की कुण्डम तहसील के आदिवासियों को तेंदूपत्ता तोड़ने संबंधी वनाधिकार आय से वंचित करने के संबंध में, श्री लाला राम टेकाम, सचिव, महाग्राम सभा रोरिया, ग्राम पंचायत— टिकारिया, तहसील— कुण्डम, जिला— जबलपुर (म.प्र.) का अभ्यावेदन दिनांक 24.05.2021।
2. आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 11.06.2021


यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

5 अगस्त 2021 को दिन मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



01/08/21
6/8/21
जारी किया
ISSUED


हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003